शोध मंथन Vol. XII No.IV Oct.-Dec. 2021 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

वर्तमान परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में बाल श्रम के रोकथाम में सहायक सरकारी नीतियाँ

प्राप्तिः 27.08.2021
स्वीकृतः 31.08.2021

प्रवीन कुमार
सहायक अध्यापक, (एम०ए०, बी०एड०, पीएच०डी०)
नेहरू स्मारक इण्टर कॉलिज, कुराली (मेरठ)
ईमेलः *stpoint02@gmail.com*

सारांश

बाल श्रम की समस्या भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्राचीन काल से ही विद्यमान है। बढ़ती जनंसख्या के साथ–साथ बाल श्रम की समस्या भी बढती जा रही है। प्रत्येक देश की सरकार बाल श्रम के खिलाफ कानून बनाकर, इस समस्या को सुधारने भी चाहती है परन्तु बढ़ती जनंसख्या, अशिक्षा व गरीबी ये तीन ऐसी समस्या हैं जो बाल श्रम को कम नहीं होने दे रहे हैं। इन तीनों समस्याओं ने बाल श्रम को अत्यधिक रूप में बढ़ावा दिया है। बाल श्रम की समस्या का कानून बनाकर रोकथाम व उस रोकथाम पर लगने वाले बजट को यदि शिक्षा के साथ जोड़ दिया जाये तो बाल श्रम की समस्या को कुछ हद तक रोका जा सकता है। यदि अशिक्षित व गरीब परिवार के बच्चों को, शिक्षा के साथ भोजन व उनकी अन्य जरूरतों के साथ जोड़ दिया जाये तो बाल श्रम पर कुछ हद तक नियत्रंण पाया जा सकता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोविड़–19 के समय में भी अनेक ऐसी योजनायें चलायी, जिन्होंने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से बाल श्रम के मार्ग में अवरोध पैदा किया है। प्रधानमंत्री पोषन शक्ति निर्माण (मध्याह्न भोजन) योजना, आंगनबाड़ी योजना, कुपोषित बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष योजना, फ्री टेबलेट एवं स्मार्टफोन योजना आदि योजनाओं द्वारा वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रम को ध्यान में रखे बिना भी, बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया। यदि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अन्य प्रदेशों की सरकार एवं भारत सरकार भी ऐसी ही योजनाओं चलाये तो भारत से बाल श्रम की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है।

बाल श्रम का अर्थ

जब कोई बच्चा अपनी बाल्यकाल एवं युवावस्था (14 साल की उम्र तक) की उम्र में पढ़ने और खेलने–कूदने के बजाय गरीब एवं अशिक्षित होने के कारण, अपना जीवन–यापन चलाने के लिए किसी व्यक्ति के पास या संस्था में अपनी स्वयं की इच्छा से या पारिवारिक मजबूरी में काम करता है या उससे जबर्दस्ती कार्य कराया जाता है यह बाल मजदूरी या बाल श्रम कहलाता है।

वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना जो बाल श्रम को रोकती है

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसी योजनाएँ शुरू की गई हैं जो शिक्षा के साथ ही बाल श्रम जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने का कार्य कर रही हैं। कुछ प्रमुख योजनाएँ इस प्रकार से हैं–

मध्याह्न भोजन योजना (Mid Day Meal)– एक परिचय

मध्याह्न भोजन योजना (Mid Day Meal) भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित है। भारत में इस योजना की शुरूआत भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को लागू की गयी थी, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक प्रदेश के सरकारी, परिषदीय एवं राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले सभी बच्चों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रति माह 03 किलोग्राम गेहूं अथवा चावल दिए जाने की व्यवस्था की यी थी। किन्तु योजना के अंतर्गत छात्रों को दिए जाने वाले खाद्यान्न का पूर्ण लाभ छात्र को न प्राप्त होकर उसके परिवार के मध्य बट जाता था, इससे छात्र को वांछित पौष्टिक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते थे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 28 नवम्बर 2001 को दिए गए निर्देश के अनुसार दिनांक 01 सितम्बर 2004 से एन.जी.ओ. अथवा स्कूल में ही पका पकाया भोजन (Ready to eat) प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराये जाने की योजना आरम्भ कर दी गयी है। योजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर 2007 से इस योजना को शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अप्रैल 2008 से शेश ब्लाकों एवं नगर क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.83 करोड़ बच्चे तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 39 लाख बच्चे आच्छादित थे।

वर्तमान में इस योजना से उत्तर प्रदेश के 87,984 प्राथमिक विद्यालयों एवं 55,083 उच्च प्राथमिक विद्यालय आच्छादित हैं। जो इस प्रकार हैं–

क्र०सं०	विद्यालय का प्रकार	योजना से आच्छादित विद्यालय			विद्यालय जहाँ मध्याह्न भोजन वितरण हो रहा है (वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 के अनुसार)			अवशेष विद्यालय
		प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल विद्यालय	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल विद्यालय	
1.	सरकारी/राजकीय	21	587	608	21	544	565	43
2.	परिषदीय	87,267	46,331	1,33,598	87,267	46,331	1,33,598	0
3.	सहायता प्राप्त	551	7,682	8,233	543	7,440	7,983	250
4.	मकतब/मदरसा	67	483	550	61	463	524	26
5.	विशेष प्रशिक्षण केंद्र (बाल श्रमिक विद्यालय)	78	0	78	14	0	14	64
कुल		87,984	55,083	1,43,067	87,906	54,778	1,42,684	383

वर्तमान में इन विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत 127.58 लाख विद्यार्थी एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 58.45 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

आंगनबाड़ी योजना

आंगनबाड़ी योजना के अन्तर्गत खोले गये आंगनबाड़ी केन्द्र वह जगह होती है, जहाँ पर बच्चे और उनकी माताओं को अपने घर जैसा ही वातावरण उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनमें किसी भी

प्रकार का डर, भय या संकोच न रहे। आंगनबाड़ी योजना ने सम्पूर्ण भारत में गरीब बच्चों एवं उनकी माताओं के स्वास्थ्य एवं कुपोषण संबंधी अनेक समस्याओं को दूर करने का कार्य किया है।

प्रारम्भ में, सम्पूर्ण भारत में आंगनबाड़ी योजना के अनुसार, 6 वर्ष की आयु के आठ करोड़ बच्चों को सम्मिलित किया गया है, इस योजना में तीन से छह वर्ष के बच्चों तथा उनकी माताओं को आंगनबाड़ी केंद्र में नियमित रूप से स्वास्थ्य की जांच, टीकाकरण, सफाई और स्वास्थ्य की जानकारी और स्कूल पूर्व की बुनियादी शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना का शुभारम्भ भारत सरकार ने 1985 में किया था। वर्ष 2010 के बाद राज्य सरकारें भी इसमें सहयोग देने लगी। वर्ष 2014 तक केंद्र और राज्य सरकारें इस योजना के अन्तर्गत राशन के खर्च में आधा–आधा सहयोग देने लगी, परन्तु केंद्र सरकार नब्बे प्रतिशत प्रशासनिक खर्च वहन करती थी। अब नई व्यवस्था के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय और पूरा प्रशासनिक खर्च राज्य सरकार को ही देना होगा।

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार नें आंगनबाड़ी योजना के अन्तर्गत लोक कल्याण मित्र को नियुक्त करने का भी निर्णय लिया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंच जा सकेंगा। अक्सर ऐसा पाया गया है कि सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी योजनाओं का फायदा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे बाद में योजना का लाभ प्राप्त होता है और कभी–कभी उन तक सूचना ही नहीं प्राप्त होती है, जिससे वह लाभ से वंचित रह जाते है, इस कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार नें लोक कल्याण मित्रो की नियुक्तियां करने का निर्णय लिया है, जो प्रत्येक गाँव में जाकर योजना को लोगों तक पहुचायेगा।

कुपोषित बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष योजना, मुहैया करवाई जाएगी

उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड–19 जैसे महामारी के बीच गरीब एवं कुपोशित बच्चों और महिलाओं के लिए विशेश योजना शुरू करने का आदेश दिया है। इस योजना के तहत प्रत्येक कुपोशित परिवार को एक गाय मुफ्त मुहैया कराने के निर्देय दिये। गाय के भरण पोशण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा 900 रुपये प्रतिमाह भुगतान भी किया जायेगा। इस प्रकार राज्य सरकार, गाय के माध्यम से परिवार को दूध उपलब्ध करायेगी।

फ्री टेबलेट एवं स्मार्टफोन योजना

उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के छात्र एवं छात्राओं के लिए फ्री टेबलेट एवं स्मार्टफोन योजना तैयार की है। इस योजना का शुभारम्भ 19 अगस्त 2021 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के करीब 1 करोड़ युवाओं को टेबलेट या स्मार्ट फोन प्रदान किया जायेगा। इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3000 करोड़ रूपये के बजट का प्रावध ाान किया है। जो छात्र एवं छात्राएँ स्नातक, परस्नातक या डिप्लोमा कर रहे हैं या करने चाहते हैं वह इस योजना में आवेदन कर सकता है। लाभार्थी को मुफ्त डिजिटल एक्सेस की सुविधा भी प्रदान की जायेगी जो युवाओं को नौकरी ढूंढने में सहायता प्राप्त होगी।

बाल श्रम को रोकने में इन योगदान का योगदान

उपरोक्त योजनाओं ने बाल श्रम को निम्न प्रकार से रोकने में मदद की है–

1. मध्याह्न भोजन योजना (Mid Day Meal)

इस योजना के माध्यम से गरीब एवं अशिक्षित परिवार के बच्चे को मुफ्त शिक्षा के साथ में

ही मुफ्त भोजन भी दिया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि अब गरीब व निर्बल परिवार के बच्चे भी अब बिना खाने की चिन्ता किये अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। माध्याह्न भोजन के अतिरिक्त, फ्री किताबें, फ्री ड्रेस, फ्री जूते एवं अन्य सुविधायों भी छात्र एवं छात्राओं को दी जाती है। इस प्रकार की सुविधाएँ मिलने के पश्चात्, प्रत्येक गरीब, निर्बल एवं अशिक्षित परिवार के बच्चे अपनी पढाई को ध्यानपूर्वक कर सकेंगे। इस प्रकार से इस योजना के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार बाल श्रम की रोकथाम कर रही है।

2. आंगनबाड़ी योजना

इस योजना का उद्देश्य तो केवल कुपोशत बच्चों एवं उनकी माताओं को समुचित पोषण वाला भोजन उपलब्ध कराना था परन्तु यदि इस योजना को गहराई से समझा जाये तो इसके अन्तर्गत प्रत्येक बालक/बालिका को सरकार इतना सक्षम कर देती है कि वह आगे जाकर बाल श्रमिक जैसी कुप्रथा के चक्कर में न पड़े। आंगनबाड़ी केन्द्र प्रत्येक गांव में खोले गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत 3 से 6 साल के बच्चों एवं उनकी माताओं का नियमित रूप से टीकाकरण, साफ सफाई एवं स्कूल पूर्व की बुनियादी शिक्षा आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा की जाती है। आर्थात् 6 साल के बच्चें के होने तक उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से खुद ले लेती है। बच्चों अपने बाल्यकाल से ही शिक्षा ग्रहण करने लगता है। इस प्रकार वह बाल श्रम की ओर नहीं जा सकता है।

3. कुपोषित बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष योजना, मुहैया करवाई जाएगी

इस योजना का उद्देश्य भी गरीब एवं कुपोषित बच्चों और महिलाओं को एक विशेष योजना के तहत गाय मुहैया कराना था। इस योजना के परिणामस्वरूप अब घर पर युवा बच्चें गाय का दूध का सेवन करके या दूध को विक्रय कर सकते हैं अर्थात् घर पर ही रहकर वह सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि का प्रयोग करके, अपनी शिक्षा पर ध्यान लगा सकता है। साथ ही बच्चे को थोड़े से पैसे के लिए घर से बाहर जाकर कार्य नहीं करना पड़ेगा। अतः यह योजना भी बाल श्रम को रोकती है।

4. फ्री टेबलेट एवं स्मार्टफोन योजना

इस योजना के अन्तर्गत अब 10वीं एवं 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र/छात्राएँ भी अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। अब छात्र/छात्राएँ को यह पता चल गया है कि यदि हम ध्यानूपर्वक अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो आगे जाकर डिप्लोमा, स्नातक या परस्नातक होने पर हमें भी सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकते है। अतः ये छात्र/छात्राएँ बाल श्रम की ओर उन्मुख नहीं होंगे और अपना पूरा ध्यान अपने शिक्षण पर ही लगायेंगे।

संदर्भ

1. "What is child labour?" International Labour Organisation, 2012.
2. https://www.upmdm.org/index.html
3. https://kaiseinhindi.com/anganbadi-yojna-kya-hai/
4. https://www.aajtak.in/india/uttar-pradesh/story/cm-yogi-adityanath
5. https://icdsupweb.org/up-free-smartphone-tablet-yojana-registration/